उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–3
संख्या–1457/77–3–2025–ई.–1905954
लखनऊः दिनांक 29 अगस्त 2025

मेसर्स ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0 .....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

यमुना एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी .....विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका एवं अंतरिम राहत आवेदन (Interim Relief Application) यमुना एक्सप्रेसवे इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) द्वारा पुनरीक्षणकर्ता को आवंटित भूखण्ड संख्या– टी0एस0–06, सेक्टर–22डी के सम्बन्ध में यीडा के आदेश दिनांक 08.07.2025 एवं यीडा के संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 18.06.2025 को निरस्त करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा–41(3) तथा सपठित उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा–12 के अन्तर्गत अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष योजित की गयी है। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत इस पुनरीक्षण याचिका के अतिरिक्त पूर्व में एक अन्य पुनरीक्षण याचिका संख्या–I/897156/2025 भी शून्यकाल की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु योजित की गयी है जो अभी शासन में निर्णय हेतु लम्बित है।

उपरोक्त पुनरीक्षण याचिकायें शासन में लम्बित रहने के दौरान यीडा संचालक मंडल द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.06.2025 के अनुपालन में डिमाण्ड नोटिस दिनांक 08.07.2025 के माध्यम से पुनरीक्षणकर्ता को लीगेरी रटॉल्ड प्रोजेक्ट्स के अन्तर्गत 75 प्रतिशत धनराशि की देय प्रथम किस्त धनराशि 117.73 करोड़ को दिनांक 31 जुलाई 2025 तक जमा करने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त डिमाण्ड नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया कि यह अवशेष धनराशि जमा करने का अंतिम अवसर है और यदि निर्धारित तिथि पर किस्तों की देयता का भुगतान नहीं किया जाता है तो भूखण्ड निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

यीडा द्वारा जारी डिमाण्ड नोटिस दिनांक 08.07.2025 तथा यीडा के संचालक मंडल के निर्णय दिनांक 18.06.2025 को पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, खण्डपीठ लखनऊ में अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत याचिका संख्या–4551/2025 द्वारा चुनौती दी गयी। याचिका मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 30.07.2025 को सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई जिसमें

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

> "..... As an interim measure, it is directed that the revisional authority shall ensure that the proceedings of the two revisions filed by the petitioner is concluded expeditiously, preferably within a period of four weeks. The interim relief application filed by the petitioner shall also be considered within a period of ten days from today. Till disposal of the interim relief application, no action shall be taken in furtherance of the communication dated 08.07.2025.
>
> List this case after four weeks.
>
> In the meantime, the revisional authority shall forward the compliance report and the order, if any, passed in terms of the directions issued herein."

मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 29.08.2025 को सुनवाई की गयी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अंतरिम राहत आवेदन (Interim Relief Application) और यीडा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या दिनांक 08.08.2025 में उल्लिखित विवरणों तथा उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के परीक्षण और पत्रावली के सम्यक परिशीलन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रथम किस्त की देय धनराशि रू0 117.73 करोड़ के सापेक्ष पुनरीक्षणकर्ता द्वारा दिनांक 31.07.2025 तक रू0 60.00 करोड़ जमा कराये जा चुके हैं। चूँकि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा डिमाण्ड आदेश दिनांक 08.07.2025 के अनुपालन में सम्पूर्ण देय धनराशि की प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया गया है अतः ऐसी दशा में यीडा द्वारा भूखण्ड निरस्तीकरण की प्रकिया प्रारम्भ कर दी जायेगी।

अतः न्याय हित में उचित होगा कि यीडा के संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 18.06.2025 के अनुपालन में निर्गत डिमाण्ड आदेश दिनांक 08.07.2025 के प्रभाव और कियान्वयन पर पुनरीक्षण याचिका के निस्तारण तक रोक लगायी जाय। अतः यीडा को निर्देश दिया जाता है कि यीडा संचालक मण्डल के निर्णय दिनांक 18.06.2025 के अनुपालन में निर्गत डिमाण्ड आदेश दिनांक 08.07.2025 पर पुनरीक्षणकर्ता के विरूद्व पुनरीक्षण याचिका के लम्बित रहने तक कोई कार्यवाही न करें।

एतद्द्वारा अंतरिम राहत आवेदन निस्तारित किया जाता है।

पीयूष वर्मा
विशेष सचिव

संख्या–145/77–3–2025–ई.–1905954 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा।
2. मेसर्स ग्रीनबे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा0 लि0, पंजीकृत कार्यालय–जे0–10/5, डी0एल0एफ0 फेस–2, एम0जी0 रोड, गुरूग्राम–122002
3. आई0टी0 सेल, इन्वेस्ट यू0पी0 को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से

(निर्मेष कुमार शुक्ल)
उप सचिव